SC-4
18-4-14.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CRIMINAL WRIT JURISDICTION CASES)

Cr.W.J.C. NO.____________2014

Pradeep Yadav ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. ...Respondents.

Sub: Crime control Act.

INDEX

SL NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
01.	A petition with affidavit	1- 30
02.	Annexure - 1: A Photo copy of the letter dated 318 dated 15.03.2014	31- 33
03.	Annexure - 2: A Photo copy of the Memo No. 730/Cr dated 18.03.2014	34-35
04.	Annexure - 3: A Photo copy of the notice Memo No. 278 dated 20.03.2014	36-37
05.	Annexure - 4: A Photo copy of the show cause	38-43
06.	Annexure - 5: A Photo copy of the orders passed by the District Magistrate in case No. 6 of 2014	44-45
07.	V A K A L A T N A M A	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CRIMINAL WRIT JURISDICTION CASES)

Cr.W.J.C. NO.____________2014

Pradeep Yadav ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. ...Respondents.

SYNOPSIS

That this is an application for issuance of a writ in the nature of certiorari or any other appropriate writ/ Rule/ direction for quashing the entire proceeding initiated against the petitioner under Bihar Control of Crimes Act Case No. 6 of 2014 under Section 12(2) and also the order dated 01.04.2014 issuing warrant of arrest against the petitioner in most illegal and arbitrary manner and without application of judicial mind as also without considering of the explanation submitted by the petitioner as

required under Section 3(1) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981.

Dates of Events

15.03.2014	The Sub Divisional Police Officer, Sadar, Madhepura, submitted a proposal for initiation of a proceeding under the provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981 against the petitioner to the Collector, Madhepura through the Superintendent of Police, Madhepura (Annexure 1).
18.03.2014	The Superintendent of Police, Madhepura submitted his proposal to the District Magistrate, Madhepura for issuance of externment order against the petitioner as provided under Section 12(2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 (Annexure 2).
20.03.2014	Accordingly the District Magistrate, Madhepura issued notice to the

petitioner to submit his show cause by fixing (Annexure 3).

25.03.2014 The Petitiner submitted his show cause (Annexure 4).

The District Magistrate was pleased to issue warrant of arrest against the petitioner without application of judicial mind to the facts and circumstances of this case (Annexure 5).

Hence, this writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CRIMINAL WRIT JURISDICTION CASES)

Cr.W.J.C. NO.____________2014

In the matter of an application under Article 226 & 227 of the Constitution of India

AND

In the matter of:

Pradeep Yadav, S/o Gajendra Yadav, R/o Village - Laxminia, P.S. Kumarkhand, District - Madhepura.

.............Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar
2. The Principal Secretary (Home), Government of Bihar, Patna.
3. The Collector cum District Magistrate, Madhepura.

4. The Superintendent of Police, Madhepura.

5. The S.D.P.O., Sadar, Madhepura.

.......Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Hon'ble Chief Justice of the High court of Judicature at Patna and her lordship's companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named:

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this is an application for issuance of a writ in the nature of certiorari or any other appropriate writ/ Rule/ direction for quashing the entire proceeding initiated against the petitioner under Bihar Control of

Crimes Act Case No. 6 of 2014 under Section 12(2) and also the order dated 01.04.2014 issuing warrant of arrest against the petitioner in most illegal and arbitrary manner and without application of judicial mind as also without considering ~~of~~ the explanation submitted by the petitioner as required under Section 3(1) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981.

2. That the following points of law, which arise~~s~~ for consideration of this Hon'ble Court, are to the following effect:

(i) Whether the District Magistrate may issue the warrant of arrest against the petitioner without being satisfied with the explanation submitted by him sought by the District Magistrate under the proceeding.

(ii) Whether the proposal under Section 12 (2) submitted by the Superintendent of

Police, Madhepura, can be said to be proper proposal in the eye of law when in most of the cases the petitioners have been either not sent up for trial by the police, or he has been exonerated by the court.

(iii) Whether the proposal for an action under Section 12(2) of the Control of Crimes Act, 1981, can be said to be a proposal in the eye of law, when there is repetition of the case numbers as contained as Serial No. 7 and Serial No. 8 to show the number of the cases pending against the petitioner when Serial No. 1 & 2 are of the same case, and therefore, the proposal in itself reflects either non application of mind or it has been prepared with malafide intention.

(iv) Whether the proposal directing the petitioner to submit a show cause as required under Section 3(i) of Control of Crimes Act, 1981 declaring the petitioner as antisocial element but the name has been reflected as "Ashok Yadav" whereas the name of the petitioner is Dilip Yadav.

(v) Whether the District Magistrate, Madhepura, is justified in issuing warrant of arrest, when the petitioner has filed his show cause within the time fixed by the respondent authorities, and without considering the show cause the Warrant of arrest has been issued against him which is incontrary to the provisions of Bihar Control of Crime Act.

3. That the petitioner is a citizen of India, and was elected Mukhiya in the year 2001 and presently his wife Parvati Devi is elected member of Panchayat Samiti of Kumarkhand Block and presently Uppramukh of the Panchayat Samiti

4. That the petitioner has been served with a notice by Memo No. 278 dated 20.03.2014 in which the cases referred in the proposal are on account of the village politics, rivalry on account of the Panchayat election which are being explained in the following manner:-

(i) That so far serial no. 1 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 45 of 2013) dated 14.04.2013 u/s 452/153A(2)/ 505(2)/120B/ 429 I.P.C. is concerned the petitioner was not named in the FIR but he was made an accused in this case at the instance of his enemies in

which presently the petitioner is on bail.

(ii) That so far serial no. 2 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 191 of 2013 dated 30.12.2010 under Section 341/323/379/501/34 I.P.C. and 3(10) Prevention of Schedule Caste and Schedule Tribe Attrocities Act is concerned the police has submitted final form against the petitioner much before and thereby the petitioner has not been sent up for trial.

(iii) That so far serial no. 3 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 68 of 2005 dated 17.05.2005 under Section 147, 341, 323, 418, 467, 468, 386/504 I.P.C. and 3(10) of Prevention of Schedule Caste and Schedule Tribe Attrocities Act is concerned in this case as well the final form against

the petitioner has been submitted by the police much before and he has not been sent up for trial.

(iv) That so far serial no. 4 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 77 of 2005 dated 28.05.2005 under Section 341, 323, 418, 467, 468, 386/504 I.P.C. and 3(10) of Prevention of Schedule Caste and Schedule Tribe Attrocities Act is concerned in this case as well the final form against the petitioner has been submitted by the police much before and he has not been sent up for trial.

(v) That so far serial no. 5 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 31 of 2006 dated 14.06.2006 under Section 147, 148, 149, 323, 448, 380, 307 I.P.C. and Section 27 of the Arms Act is concerned the police has found the

case not to be true in the major sections of the Indian Penal Code and therefore the petitioner has been granted bail by the police authorities itself.

(vi) That so far serial no. 6 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 8 of 2008) dated 26.01.2008 under Section 341, 323,354, 384/34 I.P.C. and 3(10) of Prevention of Schedule Caste and Schedule Tribe Attrocities Act is concerned the police had submitted final form during the course of investigation against the petitioner and he has not been sent up for trial.

(vii) That so far serial no. 7 & 8 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 45 of 2013 & Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 191 of 2010 are concerned it has already been explained in Serial

No. 1 and 2 of the present proposal which is one and the same case and it has been included only with a view to show the pendency of the case against the petitioner.

(viii) That so far serial no. 9 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 75 of 2013 dated 23.05.2013 under Section 307 I.P.C. is concerned the case has not been found to be proved under major Sections of Indian Penal Code during the course of investigation by the police, and therefore, the petitioner is running on bail.

(ix) That so far Serial No. 10 Jadiya P.S. Case No. 38 of 2011 dated 08.01.2011 under Section 307 , 341 I.P.C. and Section 27 of the Arms Act is concerned the petitioner has no

knowledge and he is not an accused in this case.

(x) That so far serial no. 11 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 27 of 2013 under Section 341, 323, 324, 427, 504, 506, 307 of I.P.C. and Section 27 of the Arms Act is concerned the petitioner was not an FIR accused in this case and he has been made an accused in this case on the instance of his rival on account of the land dispute in which the petitioner is running on bail and for this a counter case being Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 28 of 2013 has also been lodged against the informant party of Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 27 of 2013).

5. That in this way the only case pending against the petitioner is Serial No. 1 i.e.

Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 45 of 2013 dated 14.04.2013 under Section 452, 153A(2)/ 505(2), 120B, 429 of the Indian Penal Code and Serial No. 5 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 31 of 2006 dated 14.06.2006 under Section 147, 148, 149, 323, 324, 448, 380, 307 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act and Kumarkhand (Bhatni P.S. Case No. 27 of 2013) under Section 341, 323, 324, 427, 504, 506, 307/34 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act in which also the petitioner is running on bail as the petitioner was not an First Information Report accused and his name was included at the instance of his enemies.

6. That altogether only three cases are pending against the petitioner in which in all the cases the petitioner is running on bail either by the court or by the police authority, and it does not qualify the

requirement as prescribed under Section 3 of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

7. That altogether only three cases are pending against the petitioner that too in only one case i.e. Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 27 of 2013 under Section 307 of the Indian Penal Code is there against the petitioner in which as well he was not named in the First Information Report, but on account of the land dispute he has been made an accused and therefore the exercise of power by the District Magistrate as required Under Section 3 of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 can not be said to be satisfied.

8. That so far the report of the Superintendent of Police, Madhepura and Sub Divisional Police Officer, Madhepura with respect to the petitioner being an accused of Murder, Road Robbery and Arms Act are concerned the cases referred to in Column 1 to 11 does not

contain any such offence against the petitioner and therefore the report of the Superintendent of Police, Madhepura, and Sub Divisional Police Officer, Madhepura is with ulterior motive and with malafide intention, and therefore, the exercise of power by the District Magistrate under Section 12(2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981, cannot be held to maintainable in the eye of law.

9. That the Sub Divisional Police Officer, Sadar, Madhepura by its letter no. 318 of 2014 dated 15.03.2014 submitted a proposal against the petitioner through Superintendent of Police, Madhepura addressed to the Collector cum District Magistrate, Madhepura and on the basis of such proposal the Superintendent of Police, Madhepura by its Memo No. 730 /Cr dated 18.03.2014 addressed to District Magistrate, Madhepura submitted a proposal for passing a restraintment order

under Section 12(2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981.

A Photo copy of the letter 318 dated 15.03.2014 and Memo No. 730/Cr dated 18.03.2014 are being annexed herewith and marked as Annexure 1 & 2 to this petition.

10. That after the report was submitted by Superintendent of Police, Madhepura and Sub Divisional Police Officer, Sadar, Madhepura, the petitioner was issued a notice directing him to file his show cause by 25.03.2014, as to why not he should be declared to be an "antisocial element".

A Photo copy of the notice Memo No. 278 dated 20.03.2014 is

being annexed herewith and marked as Annexure 3 to this petition.

11. That the petitioner in compliance to the notice dated 20.03.2014 filed his detailed show cause on 25.3.2014 stating the entire fact that the cases pendig 11 in numbers are all wrong and frivolous statements when only three cases i.e.Serial No. 1 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 45 of 2013 and Serial No. 9 Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 75 of 2013 dated 23.05.2013 and Serial No. 11 i.e. Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 27 of 2013 are only pending against the petitioner in which in all the cases he is running on bail and no case is of such a heinous nature which qualifies the petitioner to be Antisocial Element as defined under Section 2(d) of the Bihar Control of Crimes act, 1981, and therefore, the initiation of proceeding under

Section 3 and Section 12(2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981, is not attracted against the petitioner as provided under the Provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

A Photo copy of the show cause is being annexed herewith and marked as Annexure 4 to this petition.

12. That on the basis of the proposal Annexure 1 and Annexure 2, the District Magistrate, Madhepura was pleased to initiate a proceeding under Section 12(2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 being case No. 6 of 2014 and fixed the case for 25.03.2014 for filing show cause.

13. That on 25.03.2014, what the petitioner filed his show cause he was directed to be physically present on 28.03.2014.

14. That on 28.03.2014 the case was fixed for 01.04.2014 and on 01.04.2014 the Learned District Magistrate was pleased to issue warrant of arrest against the petitioner without considering the show cause filed by the petitioner and without giving any application of mind on the proposal submitted the Superintendent of Police, Madhepura for passing an order as provided under Section 12(2) of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

15. That from the order passed by the District Magistrate, it is evident that though the petitioner does not come under the purview of Section 2(d) of Bihar Control of Crimes Act, 1981 which reads as follows:-

> 2(d) "Anti-Social Element" means a person who

(i) Either by himself or a member or leader of a gang habitually commits or attempts to commits or abates the commission of offence punishable under Chapter (XVI) or Chapter (XVII) or,

(ii) Xxxxxxx

(iii) Xxxx

(iv) xxxx

16. That so far the cases reported against the petitioner eleven in numbers, out of which except Serial No. 1, Serial NO. 9 and Serial No. 11 no other case is pending for trial and so far Serial No. 1 i.e. Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 45 of 2013 dated 14.04.2013 under Section 452, 153A(2), 502(2), 120B, 429 of the Indian Penal Code is concerned all the offences are minor offences, and so far Kumarkhand (Bhatni) P.S.

Case No. 75 of 2013 dated 23.05.2013 under Section 147, 148, 149, 341, 3223, 324, 379, 307, 427, 504 of the Indian Penal Code is concerned in this case section 307 has been found to be false by the investigating agency during the course of investigation and the petitioner is on bail, and so far Kumarkhand (Bhatni) P.S. Case No. 27 of 2013 under Sections, 341, 323, 324, 427, 507, 506, 307/34 of the Indian Penal Code and Section 27 of the Arms Act is concerned in this case the petitioner was not named in the FIR but he has been made an accused in this case at the instance of his enemies on account of land dispute in which too he is running on bail granted by the Learned Trial Court, and therefore, the petitioner can not be said to be anti-social element as defined under Section 2(d) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981.

17. That it is respectfully submitted that the District Magistrate without considering any aspect of pendency of criminal cases i.e. only three in number in which all the cases are of minor offences and the petitioner is running on bail and therefore, the District Magistrate exercising the power under the provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981 was required to satisfy himself as to whether there was any danger of public order or the petitioner comes within the purview of Section 2(d) of Bihar Control of Crimes Act, 1981..

18. That the definition of the term "antisocial element" applies only in respect of persons who have been convicted of offences mentioned in the said clauses and does not apply to person who are merely facing trial for those offences but in the present case only three cases are pending

against the petitioner that too of minor offences in which in all cases he is running on bail.

19. That it is respectfully submitted that a proceeding under Bihar Control of Crimes Act, 1981 cannot be launched against any and every citizen but such proceeding can only be launched against limited nefarious clauses spelt out in the five clauses of Section 2 (d) of Bihar Control of Crimes Act, 1981 all that is required is that the allegations and pendency of criminal cases must, however, manifest successive acts which alone will be indicative of habitual commission of offences by the person sought to be detained.

20. That it is also respectfully submitted that the powers conferred on the District Magistrate under Section 3 Sub Section 1 of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 to pass an order of externment upon a person upon

fulfillment of certain conditions laid down in this section. This power of externment is to be exercised by the District Magistrate upon his personal satisfaction as in the present case. It is manifestly clear that the District Magistrate has taken up the proceeding without application of his judicial mind and his personal satisfaction on the basis of the materials produced before him i.e. the proposal submitted by the Sub Divisional Police Officer, Sadar, Madhepura and Superintendent of Police, Madhepura (Annexure 1 & Annexure 2) and the explanation submitted by the petitioner (Annexure 4) has not been taken into account and therefore, the entire action taken by the District Magistrate is illegal, arbitrary and bad in law as well as on fact is fit to be set aside.

A Photo copy of the orders passed by the District Magistrate in case No. 6 of 2014 is being annexed herewith and marked as Annexure 5 to this petition.

21. That from the notice Annexure 3 it would be evident that the Learned District Magistrate has not applied his mind to the proposal in which not less than 11 cases have been shown to be reported against the petitioner out of which Serial No. 1 and 2 are one and the same case which has been included in Serial No. 7 and 8 which is nothing but repetition of the same case when in the explanation the petitioner has submitted that only three cases are pending against him that too of the minor offences in which in all the petitioner is running on

bail either from the Trial Court or from the police authority and therefore, the very purpose of issuance of notice under Sub Section 1 of Section 3 of Bihar Control of Crimes Act, 1981 to give the person concerned a reasonable opportunity of tenderering an explanation regarding them has been frustrated and hence the duty casted on the District Magistrate to intimate the concerned person of the material allegations against him so that he may be in a position to reply them and defend himself has manifestly been frustrated specially when the petitioners reply has neither been considered nor been rejected prior issuance of warrant of arrest against him.

22. That it is also respectfully submitted that Section 3 (1)(b)(I) speaks of "movements or acts" of the anti social element in the district. In absence of actual movements or

acts, the opportunity provided to the person concerned for tendering explanation becomes superfluous. Specially in the present case though the petitioner submitted his explanation stating categorically that the cases shown to be pending against him are all wrong or superfluous except three cases but the learned District Magistrate, Madhepura without considering the show cause submitted by the petitioner has been pleased to issue warrant of arrest against the petitioner which is in the respectful submission of the petitioner is illegal exercise of powers vested with the District Magistrate under the provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

23. That though the District Magistrate was required to give details of the criminal cases as also the substance as to what are the allegations against the petitioner in

those criminal cases but merely by mentioning the number of criminal cases even by repeating one and the same cases the District Magistrate has exercised his powers conferred on him under Section 3 (1) of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

24. That from the order dated 20.03.2014 it is further reflected from the order itself that the notices has been issued against the petitioner i.e. Dilip Yadav but the order finds mention the name of one Ashok Yadav and therefore, one can very much take an inference that the order is without application of mind and without the satisfaction of the District Magistrate who was required to record his satisfaction on the basis of the materials produced before him as provided under the Provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981 and therefore, the very initiation of proceeding against the

petitioner is illegal, arbitrary, malafide and against the canons of the powers vested with the District Magistrate under the provisions of Bihar Control of Crimes Act, 1981.

25. That the petitioner has got no other efficacious and alternative remedy than to move this Hon'ble Court by way of the present petition.

26. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court hereinbefore against the relief as sought in this petition.

It is, therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI, calling upon the respondents as to why the relief as sought in

this petition may not be allowed, and on causes as may be shown and after hearing the parties be pleased further sought in this petition by allowing this petition.

AND

During the pendency of this petition before this Hon'ble Court the operation of order dated 01.04.2014 passed in case No. 6 of 2014 may be stayed.

AND/OR

Pass such other order/ orders as may deem fit and proper in the interest of justice.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, ~~Pradeep Yadav~~ Manoj Kumar, aged about 30 years S/o Gajendra Yadav, R/o Village - Laxminia, P.S. Kumarkhand, District - Madhepura , do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I am ~~petitioner~~ brother in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That I have gone through the contents of this petition and have fully understood the same.
3. That the statement made in Paragraph nos. 3 to 7, 10, 25, 26 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 8, 9, 10, 12, 13, 14 are true to my information derived from the records of this case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
4. That the Annexures are true /Xerox copies of their respective originals.

Annexure-R.1

5\
(5)

ज्ञा– 318/14

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय,
सदर मधेपुरा। दिनांक– 15-3-14.

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

द्वारा– पुलिस अधीक्षक महोदय, मधेपुरा।

विषय– कुख्यात साम्प्रदायिक अपराधकर्मी प्रदीप यादव पे0–स्व0गजेन्द्र यादव सा0–परसाही टोला लक्षमिनिया थाना–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0) जिला–मधेपुरा के विरूद्ध बी0सी0सी0ए0 1981 की धारा–12(2)के अन्तर्गत कार्रवाई करने के संबंध मे ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि साम्प्रदायिक अपराधकर्मी प्रदीप कु0यादव पिता–गजेन्द्र यादव सा0–परसाही टोला लक्षमिनिया थाना–कुमारखण्ड (भतनी) जिला–मधेपुरा को बी0सी0सी0ए0 1981 की धारा–12(2) के तहत निरूद्व करना आवश्यक है क्यो कि प्रदीप यादव साम्प्रदायिक अपराधकर्मी है । इनके द्वारा विभिन्न अपराध करना इनका आदत है इसके द्वारा अपने शातिर दिमाग का प्रयोग कर समाज मे साम्प्रदायिकता फैलाकर लोक व्यवस्था को भंग करते है । यह अपने दबंगता के द्वारा समाज मे दहशत भी फैलाते है ।सरकारी कार्य मे बाधा डालना तथा तहादलित वर्ग पर अत्यचार करने इनका आदत है, रंगदारी बसुलना या रंगदारी का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है क्षेत्र मे आम जनता के साथ मारपीट करना गोली चलाकर दहशत फैलाना तथा साम्प्रदायिकता का जहर फैलाकर समाजिक सौहार्द बिगाड़कर लोक व्यवस्था भंग करने का दुष्कार्य भी करते है । जिसे आम लोग इसे भयाक्रंत है तथा कुछ बोलने से कतराते है । वर्तमान लोक सभा चुनाव –2014 के अवसर पर इसके द्वारा समाज मे साम्प्रदायिक का विष बोकर लोक व्यवस्था भंग करने की पूरी संभावना है । इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है ।

1–कुमारखण्ड भतनी थाना कांड सं0–45/13 दिनांक–11.04.13 धारा–452/153ए(2)/505(2)(3)/ /120बी0/429भा0द0वि0 को यह कांड वादी अब्दूल गफूर पे0–तनुनमिया सा0–सतोबेर कुपाड़ी जंगल टोला थाना–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0) जिला–मधेपुरा द्वारा दर्ज करया गया है,तथा बताया गया है कि अज्ञात लोगो द्वारा जंगल टोला सतवेर कुपाड़ी वार्ड नं0–14 पंचयत विसुनपुर सुन्दर थाना कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0) के मस्जिद मे सुअर का बच्चा मारकर फेक दिया गया ।

अनुसंधान पर्य0 एवं प्रतिवेदन–02 से यह काण्ड प्रदीप यादव पे0–स्व0 गजेन्द्र यादव सा0–परसही टोला लक्ष्मीनिया थाना–कुमारखण्ड जिला–मधेपुरा एवं अन्य 06 के विरूद्व सत्य पाया गया है तथा गृह विभाग बिहार सरकार से अभियोजन स्वीकृत्यादेश लेकर आरोप पत्र सं0–34/14 दिनांक–13.03. 14 एवं एवं 31/13 दिनांक–08.06.13 को समर्पित किया जा चूका है ।

2–कुमरखण्ड थाना कांड सं0–191/10 दिनांक–30.12.10 धारा–341/323/379/501/34भा0द0 वि0 एवं 3(10)अनु0जाति/जन0जाति अधिनियम ।
3–कुमारखंड (भतनी ओ0पी0)थाना कांड सं0–68/05 दिनांक–17.05.05 धारा–147/341/323/ 418/467/468/386/504भा0द0वि0 एवं 3(10)अनु0जाति/जन0जाति अधिनियम ।
4–कुमारखंड भतनी ओ0पी0 थाना कांड सं0–77/05 दिनांक–28.05.05 धारा–341/323/418/ /467/468/384/386/504भा0द0वि0 एव 3(10)अनु0जाति/जन0जाति अधिनियम ।
5–कुमारखंण्ड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–31/06 दिनांक–14.06.06 धारा–147/148 /149/323/324/448/380/307भा0द0वि0एवं 27 आर्म्स एक्ट मे ।
6–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0)कांड सं0–08/08 दिनांक–26.01.08 धारा–341/323/354/384/ /34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(10)अनु0जाति/जन0जाति अधिनियम ।

COURT FEE
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
Authorization No. 2037
INDIA
00000
0000005
374150
BIHAR

7–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0)थाना कांड सं0–45 / 13 दिनांक–11.04.13 धारा–452 / 153(ए)(2)505 (2)(3) / 120बी0 / 429भा0द0वि0 ।

8–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0)थाना कांड सं0–191 / 10 दिनांक–30.12.10 धारा–341 / 323 / 379 / 504 / 34भा0द0वि0 एवं 3(10)अनु0जाति / जन0 जाति अधिनियम ।

9–कुमारखंण्ड (भतनी ओ0पी0)थाना कांड सं0–75 / 13 दिनांक–23.05.13 धारा–147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 324 / 379 / 307 / 427 / 504 भा0द0वि0 मे ।

10–जदिया थाना कांड सं0–38 / 11 दिनांक–08.01.11 धारा–307 / 341 / एवं 27आर्म्स एक्ट ।

11–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0)कांड सं0–27 / 13 धारा–341 / 323 / 324 / 427 / 504 / 506 / 307 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट मे ।

ये असामाजिक तत्व साम्प्रदायिक असमाजिक तत्व, लोकव्यवस्था भंजक, रंगदार एवं साम्प्रदायिक कुख्यात अपराधकर्मी प्रदीप यादव पर बी0सी0सी0ए0 1981 की धारा–12(2) के तहद कार्रवाई का आधार कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0) थाना कांड सं0–45 / 13 दिनांक–11.04.13 धारा–452 / 153ए(2) / 505(2)(3) / 120बी0 / 429भा0द0वि0 है ।

वस्तुतः यह कांड वादी अब्दूल गफूर पिता–तनूक मिया सा0–सतबेर कपाड़ी जंगल टोला थाना–कुमारखण्ड (भतनी ओ0पी0) द्वारा दर्ज कराया गया है । इस कांड मे अज्ञात लोगो द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा लोक व्यवस्था भंग करने कके लिए सुअर का बच्चा मारकर सा0–सतवेर कपाड़ी जंगल टोला के मस्जिद मे सुअर का बच्चा मारकर डाल दिया गया था । मुस्लिम समुदाय के लोग मे भयंकर प्रतिक्रिया हुई तथा उबाल आ गया हिन्दुओ पर मुस्लिम समुदाय का जवरदस्त प्रतिक्रिया हुई । लोकव्यस्था भंग हुआ परन्तु प्रशासन के त्वरित कार्रवाई एवं सुझ–बुझ से मामला शांत हुआ ।

अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन –02 से यह कांड 1–प्रदीप यादव एवं अन्य 06 के विरूद्व सत्य पाया गया ,तथा विधि विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक संख्या एस0पी0(गृ0)–20 / 2014 / 34 / जे0पटना दिनांक–13.02.14 के द्वारा 07 लोगो पर आरोप पत्र समर्पित किया गया है ।

अनुसंधान के कम मे असमाजिक तत्व साम्प्रदायिक अपराधी प्रदीप कु0यादव का अपराधिक इतिहास भी पाया गया है । अपराधिक इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रदीप कु0यादव इस घटना के पहले भी रंगदारी महादलित पर अत्यचार ,सरकारी कार्य मे बाधा पहुचाना इत्यादि बहुत से काण्डो मे आरोप पत्रित है तथा समाज मे विद्वेष फैलाकर लोक व्यवस्था भंग करता रहा है ।अपराधकर्मी प्रदीप यादव वर्तमान मे जमानम पर मुक्त है । परन्तु अपने शातिर दिमांग से समाज में विद्वेष फैलाकर लोक व्यवस्था को कभी भी भंग किया जा सकता है । लोकसभा चुनाव –2014 मे साम्प्रदायिकता फैलाकर समाज मे अशांति फैला सकते है तथा चुनाव कार्य को बाधित कर सकते है ।

अतः प्रदीप यादव पे0–गजेन्द्र यादव सा0–परसाही टोला लक्षमिनिया थाना–कुमारखण्ड (भतनी) जिला–मधेपुरा के विरूद्ध बी0सी0सी0ए0 1981 की धारा–12(2)के अन्तर्गत करने की कृपा की जाए,ताकि लोकसभा चुनाव –2014 के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे ।

सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक यथोपरि।

15-3-14

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
सदर मधेपुरा।

11/4/14

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHEPURA SCORE, MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
भारत INDIA
Rs 00000
374150

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
बिधि

ज्ञापांक-839/सी0आर0

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक- 24.03.2014

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

प्रसंगः- भवदीय का पत्रांक-278/विधि, दिनांक-20.03.14

विषयः- बी0सी0सी0ए0 वाद सं0-06/2014 राज्य बनाम प्रदीप यादव में नोटिस तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन लौटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय से संबंधित बी0सी0सी0ए0 वाद सं0-06/2014 राज्य बनाम प्रदीप यादव में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-12(2) के अंतर्गत नोटिस प्रदीप यादव को तामिल कराकर तामिला प्रतवेदन ओ0पी अध्यक्ष, भतनी द्वारा अपने ज्ञापांक-63/14, दिनांक-24.03.14 द्वारा लौटाया गया है, जो मूल में संलग्न कर आवश्यक क्रियार्थ लौटाया जा रहा है।

अनुलग्नकः- **यथोपरि।**

24/3/14

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

34 (3)

Annexure-2.

06/14

ज्ञापांक 730 /सी0आर0
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधेपुरा।
मधेपुरा, दिनांक- 18.03.14

सेवा में,
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रसंग:- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,मधेपुरा का ज्ञापांक-318/14,दि0-15.03.14।

विषय:- कुख्यात अपराधकर्मी प्रदीप यादव,पिता-स्व0 गजेन्द्र यादव, सा0-परसाही टोल लक्षमिनिया, थाना-कुमारखण्ड(भतनी),जिला-मधेपुरा के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-12(2) के तहत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय से संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मधेपुरा द्वारा समर्पित कुख्यात एवं सकिय अपराधकर्मी प्रदीप यादव पिता-गजेन्द्र यादव, सा0-परसाही टोला लक्षमिनिया, थाना-कुमारखण्ड(भतनी)जिला-मधेपुरा के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-12(2) के तहत निरुद्ध करने हेतु प्रस्ताव मूल में संलग्न है।

327
19/3/14

प्रदीप यादव एक असमाजिक तत्व है। ये मार-पीट, रंगदारी, भयोदाहन, एवं अनु0जाति/जन0जाति अत्याचार अधिनियम के कई कांडों में संलिप्त एवं अरोपित रहें हैं। ये काफी दबंग प्रवृति के व्यक्ति है। इनके विरुद्ध आम जनता कुछ बोलने से कतराते है एवं भयाक्रांत है। इनका विस्तृत अपराधिक इतिहास है। ये समाज विरोधी कार्य करते है तथा सम्प्रदायिक भावना को भड़काकर लोक व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्ति है।

20/3/14

कुमारखण्ड(भतनी ओ0पी0) क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम-सतवेर जंगल टोला स्थित मसजिद में सुअर को मार कर फेक दिये थे। जिससे हिन्दु मुसलिम के बीच सम्प्रदायिक तनाव बढ़ गई थी और शांति व्यसस्था तथा विधि व्यवस्था पर भी खतरा उत्पन्न हो गया था । परन्तु प्रसाशन की तत्परता एवं सुझ-बुझ से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और सम्प्रदायिक सदभाव कायम हुआ। इस संबंध में कुमारखण्ड थाना कांड सं0-45/13, दि0-11.04.13, धारा-452/153(ए)(2)505(2)(3)/120बी/429 भा0द0वि0 दर्ज किया गया। जिसमें इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और सरकार से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव प्राप्त कर इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। वर्तमान में ये न्यायालय से जमानत पर है। ये समाज में विद्वेश फैलाकर

35 (4)

सम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक व्यवस्था भंग कर सकते है। साथ ही साथ लोक सभा चुनाव 2014 के अवसर पर स्वच्छ एवं शांति पूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में भी बाधा उतपन्न कर सकते है।

अतः अनुरोध है इन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 की धारा-12(2) के तहत निरूद्ध करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः-ययोपरि।

18/3/14
पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

11/4/14

11/4/14

11/4/14

36

Annexure 4

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

बी.सी.सी.ए. वाद सं0- 06/2014

राज्य बनाम प्रदीप यादव

(फार्म-1)

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 12(2) के अंतर्गत नोटिस

(देखें नियम-4)

मुझे उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि-

क- **अपराधकर्मी प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टोला लक्ष्मीनियाँ, थाना कुमारखंड(भतनी) जिला मधेपुरा एक कुख्यात अपराधी है।** इनके आपराधिक कुकृत्यों से लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये अपने अपराधी सहयोगियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य कायम किये हुये हैं जिस कारण आमलोगों में भय व्याप्त है। 13- मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन- 2014 के अवसर पर अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने हेतु ये अपने साथियों के साथ घुम-घुम कर जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण मतदाताओं में एक विशेष प्रकार का डर बनी रहने की आशंका है। इसकी पूरी संभावना है कि ये मतदान के समय अपने साथियों के साथ मिलकर बूथ लूटने का कार्य कर सकते हैं।

ख- **ये आदतन अपराधी हैं और संगीन अपराध करने के आदी हैं,** जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय है।

ग- **मधेपुरा जिले में इनके गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है और ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं** जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। यह भी आशंका है कि आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।

कंडिका (क), (ख) एवं (ग) में लगाये गये आरोपों के संबंध में सामग्री उपलब्ध है जो निम्न प्रकृति की है-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 730/सी0आर0, दिनांक 18-03-2014 के द्वारा प्रदीप यादव की आपराधिक गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदित किया है, जो अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

2. **प्रदीप यादव आपराधिक गतिविधियों में** काफी दिनों से संलग्न है। उनके विरूद्ध कई थानों में दर्ज कांडों का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

1. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-45/13 दिनांक 11.04.13 धारा 452/153ए(2)/505(2)(3)/120बी./429 भा.द.वि.।
2. कुमारखंड थाना कांड सं0-191/10 दिनांक 30.12.10 धारा 341/323/379/501/34 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु0जाति/जन जाति अधिनियम।
3. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-68/05 दिनांक 17.05.05 धारा 147/341/323241.8/467/468/386/504 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/ जनजाति अधिनियम।
4. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-77/05 दिनांक 28.05.05 धारा 341/3232418/467/468/384/386/504 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम।
5. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-31/06 दिनांक 14.06.06 धारा 147/148/149/323/324/448/380/307 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
6. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-08/08 दिनांक 26.01.08 धारा 341/323/354/384/34 भा.द.वि. एवं 3(1)(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम।
7. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-45/13 दिनांक 11.04.13 धारा-452/153(ए.)(2)/505(2)(3)/120बी./429 भा.द.वि.।
8. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-191/10 दिनांक 30.12.10 धारा-341/323/379/504/34 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम।
9. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-75/13 दिनांक 23.05.13 धारा-147/148/149/341/323/324/379/307/427/504 भा.द.वि.।
10. जदिया थाना कांड सं0-38/11 दिनांक 08.01.11 धारा-307/341 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

भारत GOVT OF BIHAR REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT. MADHEPURA SCORE MADHEPURA COURT FEE Authorization No. 2037 INDIA 374160

37 (9)

11. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-27/13 धारा-341/323/324/427/504/506/307/34 भा0द0वि0 एवं
27 आर्म्स एक्ट।

3. यह भी गुप्त सूचना मिली है कि **प्रदीप यादव** असामाजिक तत्वों को एकत्र कर आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में अपने समर्थित व्यक्ति के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा आगामी चुनाव मे व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया गया है जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पूर्व भी इस तरह की कुकृत्य कर चुके हैं।

4. इन आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि उन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-2(d)(i) के अन्तर्गत "असामाजिक तत्व" माना जाय।

5. **प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टोला लक्ष्मीनियां थाना कुमारखंड(भतनी), जिला मधेपुरा** को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक- 25-03-2014 को 03.00 बजे अप0 में उपस्थित हों या यदि चाहें तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण आरोपित विषय वस्तु के संबंध में दाखिल कर सकते हैं कि क्यों नहीं नहीं उनके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 की उप धारा 2 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाय? वे यह भी सूचित करेंगे कि क्या वे स्वयं या अन्य गवाह (यदि हों तो उनका नाम एवं पता) उनके स्पष्टीकरण के समर्थन में परीक्षण के लिये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना चाहते हैं।

6. **प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टोला लक्ष्मीनियां थाना कुमारखंड(भतनी), जिला मधेपुरा** को एतद् द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। यदि वे उपस्थित होने में असफल रहते हैं या कोई स्पष्टीकरण या सूचना निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि ये अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या गवाह देने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार आगे आदेश पारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी

मधेपुरा।

दिनांक- 20-03-2014

स्थान- मधेपुरा।

ज्ञापांक 278 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 20.03.14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को उनके पत्रांक 730/सी0आर0, दिनांक 18-03-2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। नोटिस तामिला हेतु अपने स्तर से भेजने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, कुमारखंड(भतनी ओ.पी.) को नोटिस की दो प्रति निर्गत करते हुए निदेशित किया जाता है कि इसकी विधिवत तामिला सुनिश्चित कराते हुये तामिला प्रतिवेदन अंकित कर एक प्रति 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करावें। इसे सख्त ताकीद जानें।

प्रतिलिपि : लोक अभियोजक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टोला लक्ष्मीनियां थाना कुमारखंड(भतनी) जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0 20/3/14

जिला दंडाधिकारी,

11/4/14

Annexure-4.

न्यायालय में,

श्रीमान् समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा ।

वी० सी० सी० ए० वाद संख्या :- 06/2014

राज्य

बनाम

प्रदीप यादव ------------- प्रतिपक्षी

प्रार्थी प्रतिपक्षी प्रदीप यादव पिता स्व० गजेन्द्र यादव सा०-परसाही, टोला-लक्ष्मीनियाँ, थाना-कुमारखण्ड, (भतनी), जिला-मधेपुरा की ओर से प्रस्तुत कारण-पृच्छा दाखिल करते हुए सादर निवेदन इस प्रकार करते हैं :-

01. यह कि प्रार्थी प्रतिपक्षी शांतिप्रिय, कानून पसंद, सामाजिक व्यक्ति है जिनसे किसी प्रकार से शांति व्यवस्था को भंग होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

02. यह कि प्रार्थी प्रतिपक्षी न तो अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और न ही किसी अपराधिक गिरोह का सदस्य है बल्कि एक सामाजिक कार्य-

कर्ता के रूप में समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़कर सामाजिक कार्यो में रहकर समाज सेवा करते हैं जिनसे आम लोगों में किसी प्रकार का आतंक का भय नहीं है बल्कि प्रार्थी सामाजिक रूप से लोकप्रिय व्यक्ति है ।

03• यह कि हालांकी प्रार्थी मधेपुरा जिला क्षेत्र के ग्राम-परसाही टोला लक्ष्मीनियाँ,थाना-कुमारखण्ड (भतनी) का स्थाई निवासी है जो आसन्न लोक सभा चुनाव में सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है,इसलिए प्रार्थी प्रतिपक्षी से 13 मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन 2014 के संचालन में कोई गड़बड़ी या शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है ।

04• यह कि पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत वाद से संबंधित न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिश दिनांक- 20•3•14 में दर्शाये गए अपराधिक मामलों के संबंध में प्रार्थी निवेदन करता है कि कृम संख्या-1 कुमारखण्ड (भतनी) थाना काण्ड सं0:- 45/13 में प्रार्थी नामांकित अभियुक्त नहीं थे बल्कि स्थानीय विरोधी पक्षों के ईशारे पर पुलिस पदाधिकारी द्वारा इन्हें काफी दिनों बाद सह अभियुक्त बनाया गया है जिसमें प्रार्थी न्यायालय से जमानत पर मुक्त हो चुके हैं ।

05• यह कि कृम संख्या-2 में दर्शाए गए कुमारखण्ड थाना काण्ड सं0-

19/10 दिनांक- 30•12•10 एवं क्रम संख्या- 3 में दर्शाए गए कुमारखण्ड ‖भतनी‖ थाना काण्ड सं0- 68/05 दिनांक- 17•5•05 एवं क्रम संख्या- 4 में दर्शाए गए कुमारखण्ड थाना काण्ड सं0- 77/05, दिनांक- 28•05•05 को पुलिस अनुसंधान में असत्य पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन काफी समय पहले समर्पित किया जा चुका है ।

06• यह कि क्रम संख्या- 5 में दर्शाए गए कुमारखण्ड ‖भतनी‖ थाना कांड संख्या- 31/06 में अनुसंधान के क्रम में आरोपित गंभीर धाराओं में काण्ड को असत्य पाया जा चुका है और प्रार्थी को पुलिस पदाधिकारी द्वारा ही जमानत पर मुक्त किया जा चुका है साथ ही क्रम संख्या-6 कुमारखण्ड ‖भतनी‖ थाना काण्ड सं0- 8/08 में प्रार्थी की संलिप्तता नहीं होने के कारण अनुसंधान के क्रम में इन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है ।

07• यह कि क्रम संख्या-7 एवं 8 में दर्शाए गए क्रमशः कुमारखण्ड थाना काण्ड सं0- 45/13, दिनांक- 11•4•13 एवं कुमारखण्ड ‖भतनी‖ थाना काण्ड संख्या- 191/10, दिनांक- 30•12•10 का दुबारा उल्लेख किया गया है जो क्रम संख्या-1 एवं 2 में उल्लेखित है ।

08• यह कि क्रम संख्या-9 में दर्शाए गए कुमारखण्ड ‖भतनी‖ थानाकाण्ड

75/13,दिनांक- 23·05·13 में अनुसंधान के क्रम में धारा 307 भा0 द0 वि0 में काण्ड को असत्य पाया गया है तथा प्रार्थी न्यायालय द्वारा जमानत मुक्त किए जा चूके हैं ।

09· यह कि क्रम संख्या-10 जदिया थाना काण्ड सं0- 38/11,दिनांक- 8·1·11 की कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं है और प्रार्थी उक्त वाद का अभियुक्त नहीं है ।

10· यह कि क्रम संख्या-11 में दर्शाए गए कुमारखण्ड {भतनी} थाना कांड सं0-27/13 का प्रार्थी नामांकित अभियुक्त नहीं था और विरोधी पक्ष के इशारे पर स्थानीय पुलिस द्वारा काफी दिनों बाद अभियुक्त बना दिया गया जिसमें भी प्रार्थी न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है । जमीन विवाद के कारण विरोधी पक्ष द्वारा काण्ड दर्ज कराया गया है। इस काण्ड का काउन्टर काण्ड कुमारखण्ड {भतनी} थाना काण्ड सं0- 28/13 भी है ।

11· यह कि प्रार्थी वर्ष 2001 ई0 में सम्पन्न पंचायत चुनाव में अपने विरोधी उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह को पराजित कर मुखिया निर्वाचित हुए । तत्पश्चात आरक्षित सीट हो जाने के कारण वर्ष 2006 एवं 2011 में

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
MADHEPURA SCORE MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No 2037
INDIA
STAMP DUTY

सम्पन्न पंचायत चुनाव में प्रार्थी की पत्नी पार्वती देवी लगातार पंचायत समिति सदस्य के रूप में विरोधी उम्मीदवार वोसीम अहमद को पराजित कर निर्वाचित होती रही है जो वर्तमान में कुमारखण्ड प्रखण्ड में उप प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं ।

12• यह कि चूंकि प्रार्थी सामाजिक कार्यो में अभिरूचि लेते हैं तथा स्थानीय पंचायत चुनाव में स्वयं वर्ष 2001 में मुखिया निर्वाचित हुए और ततपश्चात प्रार्थी की पत्नी श्रीमती पार्वती देवी लगातार दो चुनाव में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होती रही है,इसलिए स्थानीय विरोधी पक्षों के साजिश से अकारण प्रार्थी को परेशान करने के नियत से प्रार्थी के विरूद्ध झूठा दोषारोपन किया गया है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है ।

13• यह कि प्रार्थी पूर्णत: शांतिप्रिय,सामाजिक व्यक्ति है और किसी प्रकार से असामाजिक व्यक्ति या तत्व से कोई सरोकार नहीं रखता है,इसलिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को धारा-2 §ए§ §i§ के अन्तर्गत असामाजिक तत्व करार दिए जाने लायक नहीं है ।

14• यह कि प्रार्थी विद्वान न्यायालय के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्णत: पालन करने को तैयार है ।

अत: प्रार्थना है कि प्रार्थी की ओर से दायर प्रस्तुत कारण-पृच्छा को स्वीकृत करने का आदेश दिया जाय तथा बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 की उप धारा 2 के अन्तर्गत कार्यवाही से प्रार्थी को मुक्त करने का आदेश दिया जाय । इसके लिए प्रार्थी विनीत रहेगा ।

प्रार्थी/प्रतिपक्षी

द्वारा

अधिवक्ता ।

प्रार्थी अपने कारण पृच्छा के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

गवाहों का नाम एवं पता :-

(1) सुवेन्द्र यादव पे0 स्व0 कनिकलाल यादव

(2) दिलीप यादव पे0 शिवना0 यादव

सभी सा0-लक्ष्मीनियाँ परसाही,

थाना-कुमारखण्ड(भतनी),जिला-मधेपुरा ।

GOVT. OF BIHAR
MADHEPURA SCORE MADHEPURA
COURT FEE
Authorization No. 2037
INDIA
Rs. 00000005
374150

128
3/4/14

09/4/14 Annexure-...

U4

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१का नियम २१)

राज्य बनाम प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टेला लक्ष्मीनियाँ थाना कुमारखंड(भतनी), जिला मधेपुरा

केश का प्रकार-बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-12(2) के अन्तर्गत वाद सं0- 06/2014

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी, तारीख
1	2	3
20-03-2014	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक-730/सी0आर0, दिनांक-18.03.2014 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी, प्रदीप यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव सा0 परसाही टेला लक्ष्मीनियाँ थाना कुमारखंड(भतनी) जिला-मधेपुरा के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-12(2) के तहत् निरुद्ध करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है- देखा। उक्त प्रस्ताव के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा का प्रतिवेदन, प्राथमिकी की छायाप्रति एवं आरोप पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त अपराधी के विरुद्ध 11 (ग्यारह) कांड अंकित हैं, जो निम्न प्रकार हैः- 1. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-45/13 दिनांक 14.04.13 धारा 452/153ए.(2)/505(2)/120बी./429 भा.दं.वि.। 2. कुमारखंड (भतनी) थाना कांड सं0-191/10 दिनांक 30.12.10 धारा-341/323/379/501/34 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम। 3. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-68/05 दिनांक 17.05.05 धारा-147/3412323/418/467/468/3862504 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम। 4. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-77/05 दिनांक 28.05.05 धारा- 341/323/418/467/468/384/3862504 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम। 5. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-31/06 दिनांक 14.06.06 धारा 147/148/149/323/324/448/380/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। 6. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-08/08 दिनांक 26.01.08 धारा-341/323/354/384/34 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम। 7. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-45/13 दिनांक 11.04.13 धारा-452/153ए.2/505(2)(3)/120बी./429 भा.द.वि.। 8. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-191/10 दिनांक 30.12.10 धारा-341/323/379/504/34 भा.द.वि. एवं 3(10) अनु.जाति/जनजाति अधिनियम। 9. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-75/13 दिनांक 23.05.13 धारा-147/148/149/341/323 2324/379/307/427/504 भा.द.वि.। 10. जदिया थाना कांड सं0-38/10 दिनांक 08.01.11 धारा-307/341 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट। 11. कुमारखंड(भतनी) थाना कांड सं0-27/13 धारा-341/323/324/427/504/506/307/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा ने प्रतिवेदित किया है कि ये हत्या, रोड लूट, शस्त्र अधिनियम आदि कई कांडों में संलिप्त एवं आरोपित रहे हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास पाया गया है। अपराध करना ही इनका मुख्य पेशा है। जेल में रहते हुए भी ये अपने बाहुबल से अपराध तंत्र एवं विभिन्न श्रोतों द्वारा अपने विरुद्ध दर्ज कांडों के साक्षियों को डराते-धमकाते रहते हैं। लोग इनके विरुद्ध गवाही देने में भयभीत रहते हैं। सरकारी कार्य में बाधा डालना तथा महादलित वर्ग पर अत्याचार करने इनका आदत है, रंगदारी बसुलना या रंगदारी का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। इनके जेल से निकलने पर अपराधिक घटनाओं में वृद्धि के साथ-साथ समाज में अशांति तथा विधि व्यवस्था भंग होने की पूरी संभावना है। ऐसे कुख्यात अपराधी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-12(2) के तहत निरुद्ध करने की अनुशंसा की गई है। अतः उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राथमिकी, पर्यवेक्षण टिप्पणी, आरोप पत्र, केश डायरी एवं	✓

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHEPURA SCORE MADHEPURA
COURT FEE
भारत INDIA
Rs 5
STAMP DUTY
Authorization No 2007
374156

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा तथा पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन का पूर्णरूपेण परीक्षण एवं परिसीलन करने से स्पष्ट होता है कि अशोक यादव एक कुख्यात अपराधी है, जो बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3(ए), 3(बी) की विवेचना अनुसार एक असमाजिक तत्व की श्रेणी में आता है। इसे निरुद्ध करना अपरिहार्य है। उक्त प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए प्रथमतः प्रतिवादी अशोक यादव को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत करें। नोटिस का तामिला पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से प्राप्त करें। राज्य की ओर से लोक अभियोजक अपना पक्ष रखें।

अभिलेख दिनांक 25-03-2014 को रखें।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

25/3/14 - राज्य की ओर से हाजरी प्राप्त। नोटिस तामिला प्राप्त। प्रतिवादी द्वारा कारण पृच्छा अप्राप्त। दोनों पक्षों के विद्वान अधि० को सुना। समय-आवेदन स्वीकृत दिनांक 28/03/14 को रखें। op स्वयं उपस्थित रहे, अगामी तिथि को।

25/3/14

28.3.14 - प्रतिवादी की ओर से हाजरी प्राप्त। दोनों पक्षों के विद्वान अधि० को सुना। आरोपी, पर्याप्त समय देने पर भी उपस्थित नहीं हुये।

Put up for order

28/03/14

01/04/14 प्रतिवादी को पर्याप्त मौका देने पर भी स्वेच्छा कार्य। वारंट जारी करें।

1/4/14

11/4/14

11/4/14

11/4/14